राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना)

क्रमांकः F-1(2) ग्रा वि/नरेगा/मा-9/2010 जयपुर, दिनांक 25/5/2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत कार्यों के समय एवं टास्क के पुनर्निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है पूरा प्रदेश भीषण गर्मी एवं तीव्र लू की चपेट में है तथा औसत तापमान अत्याधिक है । इसके साथ ही प्रदेश के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 49° C तक पहुंच गया है। आपको यह भी विदित है कि वर्तमान में प्रदेश के 27 जिलों के 33464 ग्राम अभावग्रस्त घोषित हैं। इन सभी ग्रामों में तथा अभावग्रस्त घोषित 27 जिलों के 124 द्वितिय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिकाओं में भी अकाल राहत कार्यों के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अकालराहत कार्य प्रथमतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के तहत सम्पादित कराये जा रहे है तथा शहरी क्षेत्रों में आपदा राहत कोष के माध्यम से कार्य सम्पादित कराये जा रहे है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत सम्पादित होने वाले अकाल राहत कार्यों के लिये निर्धारित टास्क दर इसी संबंध में ग्रामीण कार्य निर्देशिका के तहत निर्धारित टास्क दर से 30 प्रतिशत कम रखी गई है।

प्रदेश में संचालित अकाल राहत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अध्यधीन है। इसके बिन्दु संख्या 3.11.10 के नोट में यह स्पष्ट किया गया है कि जून माह में निर्धारित टास्क में 20 प्रतिशत की कटौती की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष कई जिलों में माह मई का औसत तापमान गत वर्ष के जून माह के औसत तापमान से अधिक है।

प्रदेश में भीषण गर्मी, लू एवं बढते हुये तापमान के कारण श्रमिकों की कार्यक्षमता में ह्रास होना स्वाभाविक है। उपरोक्त परिपेक्ष्य एवं राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25 मई, 2010 में लिए गए निर्णय अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के लिये ग्रामीण कार्य निर्देशिका में उल्लेखित विभिन्न टास्क दरों में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती एवं कार्य समय में 2 घन्टे की छूट तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है अर्थात् महात्मा गांधी नरेगा के तहत निर्धारित टास्क दर, ग्रामीण कार्य निर्देशिका में निर्धारित टास्क दरों का 50 प्रतिशत रहेगा। इसके अलावा यह

भी निर्णय लिया गया कि महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थल पर नियोजित मेट द्वारा कार्यों का संचालन इस प्रकार किया जाये कि श्रमिक प्रातः 6 बजे से कार्य करते हुये बिना अवकाश अन्तराल के 10 बजे तक उक्त निर्धारित टास्क पूर्ण कर घर लौट सकें। यह व्यवस्था 26 मई, 2009 से लागू होगी एवं माह जून के अन्त तक अथवा मानसून आने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये प्रभावी रहेगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करे तथा तदनुसार ही कार्यों का माप एवं श्रमिकों को भुगतान की व्यवस्था करें।

भवदीय,

25/5/09

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, माननीय मन्त्री/राज्य मन्त्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री
4. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान
6. निदेशक एवं उप सचिव, जन सम्पर्क विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया इसे समाचार पत्रो में समाचार के रूप में प्रकाशित कराने का श्रम करावें।
7. रक्षित पत्रावली ।

25/5/09

अतिरिक्त आयुक्त, प्रथम, ईजीएस